रजिस्ट्री सं. डी. एल -33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 6, 1993/आश्विन 14, 1915
No. 206] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 1993/ASVINA 14, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 168(पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1993

फाइल सं. 3/94/93-आई पी सी-2—निर्यात एवं आयात नीति, 1992-97 के पैरा 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) 92-97 (संशोधित संस्करण मार्च, 1993) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

(1) पृष्ठ संख्या 186 पर परिशिष्ट 14 के अन्तर्गत "बैंक प्रमाणपत्र" की क्रम सं. 1 पर चौथी और पांचवीं पंक्ति में आने वाले "16" रु और "14" अंकों के स्थान पर क्रमशः "15" और "13" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

2. इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO 168|(PN)|92—97

New Delhi, the 6th October, 1993

File No. 3|94|93-IPC-II.—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export & Import Policy, 1992-97, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Volume-I), 1992-97 (Revised Edition : March, 1993) :—

(1) Digits "16" and "14" appearing in the fourth and fifth line respectively at Sl. No. 1 of 'BANK's CERTIFICATE' under Appendix-XXIV on page No. 186 shall be substituted by the digits "15" and "13" respectively.

2. This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993